

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :- 259/2025

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/488

प्रार्थी :-

बाबूराम पुत्र श्री हरजीराम पटेल जाति पटेल निवासी धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।



बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. समदा पटेल पत्नी श्री करनाराम निवासी धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. करनाराम पटेल पुत्र श्री बस्ताराम निवासी धवा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धवा पंचायत समिति, लूणी जिला जोधपुर।
4. ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति धवा, जोधपुर।

निगरानी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध मिसल संख्या 05/2011-12 में पट्टा बुक संख्या 33 में से पट्टा संख्या 13 जारी दिनांक 05.11.2011 तथा मिसल संख्या 06/2011-12 में पट्टा बुक संख्या 33 में से जारी पट्टा संख्या 14 जारी दिनांक 05.11.2011 जो ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता पुखाराम पटेल (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी (अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से)।

निर्णय

दिनांक 30.03.2026

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत धवा पंचायत समिति लूणी (हाल नई प.स. धवा) द्वारा मिसल संख्या 05/2011-12 में बुक संख्या 33 में से पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.11.2011 तथा मिसल संख्या 06/2011-12 में बुक संख्या 33 में से जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.11.2011 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 22.12.2025 को प्रस्तुत की गई है।

जोधपुर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी—एक व दो समदा व करनाराम की ओर से धनपत चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत धवा से पट्टा संख्या 13 व 14 दिनांक 05.11.2011 से सम्बन्धित अभिलेख तलब किया गया।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत से निगरानीकार के पक्ष में मिसल संख्या 27/2004-05 में जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 से सम्बन्धित अभिलेख भी मंगवाया गया।

3. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार/प्रार्थी के पिता श्री हरजीराम पटेल पुत्र बींजाराम पटेल के नाम से ग्राम पंचायत धवा द्वारा मिसल संख्या 27/2004-05 में दिनांक 03.12.2004 को आवासीय पट्टा संख्या 131 बनाप 1766 वर्गगज निम्न पड़ौस का जारी किया गया है—

उत्तर में— आम रास्ता तथा करनाराम (अप्रार्थी-2)का मकान व बाड़ा

दक्षिण में— वजाराम का मकान

पूर्व में— गली व चौक

पश्चिम में— भोपाल सिंह राजपूत



पट्टाधारी— हरजीराम का दिनांक 19.06.2019 को देहान्त हो चुका है, जिसके फलस्वरूप फूली (पत्नी), जोराराम, ओमाराम, बाबूराम (प्रार्थी), धन्नी देवी, धापू देवी, मोहरी देवी, पुत्र/पुत्रियां— हरजीराम के वारिशान है तथा वे उक्त नाप व पड़ौस की भूमि पर पट्टाधारी के रूप से पुश्तैनी, पट्टासुदा, स्वामित्वसुदा एवं मालिकाना हक के रूप में काबिज है। प्रार्थी— बाबूराम के पक्ष में हरजीराम के शेष वारिसान ने पट्टे बाबत समस्त प्रकार की कार्यवाही करने हेतु एक आममुख्यारनामा दिनांक 07.07.2025 को निष्पादित किया है।

दिनांक 15.06.2025 को प्रार्थी—उक्त पट्टे की भूमि पर बाउण्ड्री वाल निर्माण करने व वृक्षारोपण करने गया तो प्रतिवादी/अप्रार्थी— 2 करनाराम ने दो पट्टे बताकर कथन किया कि इस भूखण्ड के दो पट्टे ग्राम पंचायत ने उनके नाम से कर रखे है तथा प्रार्थी का काम रूकवा दिया। उक्त करनाराम द्वारा प्रस्तुत दोनों पट्टों का अवलोकन करने पर जानकारी हुई कि अप्रार्थीगण 1 व 2 ने अप्रार्थी— 3 ग्राम पंचायत से बाले-बाले, चुपके-चुपके, प्रार्थीगण को बताए बिना ही मिलीभगत करके उक्त भूखण्ड की भूमि में से 415.69 वर्गगज का पट्टा संख्या 13 व तथा 946.22 वर्गगज का

  
जयपुर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

पट्टा संख्या 14 ग्राम पंचायत धवा के कार्यालय से दिनांक 05.11.2011 को जारी करवा लिए है जो कूटरचित व गलत दस्तावेजात के आधार पर प्राप्त किए है। प्रार्थी ने दिनांक 11.08.2025 को एफआईआर संख्या 114 भी पुलिस थाना में दर्ज करवायी है। प्रार्थीगण के पिता हरजीराम के नाम से पूर्व में जारी पट्टे की जानकारी अप्रार्थी संख्या 3 को भलीभांति जानकारी थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने ही प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 03.12.2004 को पट्टा पर हस्ताक्षर किए है। पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर दोबारा पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई विधिक अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करने में नियमों की पालना नहीं की गई है। भूखण्ड पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है। अप्रार्थीगण के पक्ष में न तो सक्षम दस्तावेज है तथा न ही उनका कब्जा है। अतः गैर कानूनी तरीके से जारी पट्टों को निरस्त किया जावे।

प्रार्थी ने निगरानी के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 16.01.2026 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 मय धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी- 2 को विक्रय किए भूखण्ड का विधि अनुसार अप्रार्थी- 3 ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 13 व 14 जारी किया है जिसका उप पंजीयक तृतीय जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 04.01.2012 को पंजीयन करवाया गया है।



अप्रार्थी 1 व 2 का यह भी कथन है कि वक्त खरीद से उक्त तथाकथित विवादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा है एवं निरन्तर उपयोग एवं उपभोग ले रहे है।

उक्त दोनों पट्टे नियमानुसार जारी किए गए है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। पंजीबद्ध पट्टा विलेखों को निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को ही है। इस न्यायालय को पट्टे निरस्त करने का अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज की जावे।

5. अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से प्रार्थी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है। वास्तविक रूप से ग्राम पंचायत धवा द्वारा हरजीराम के नाम से मिसल संख्या 27/2004-05 में पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 जारी किया गया था।

*SM*  
 अपर जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
 जोधपुर

उक्त भूखण्ड का विक्रय पट्टाधारी हरजीराम द्वारा दिनांक 25.10.2010 को अप्रार्थी 02 करनाराम को रूपये दो लाख पचीस हजार में बेचान कर रुबरू गवाहान कब्जा एवं मालिकाना हक संपूर्ण किया गया। तत्पश्चात पट्टा का पंजीकरण नहीं होने के कारण उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत को सरेंडर कर उक्त भूखण्ड के दो पट्टे क्रमशः अप्रार्थी 01 श्रीमती समदा के नाम मिसल संख्या 05/2011-12, पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.11.2011 को 415.69 वर्गगज का ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी किया गया जिसका पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालय (तृतीय) जोधपुर में दिनांक 04.01.2012 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द 454 पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 2012000224 पर किया गया है।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 करनाराम के नाम से मिसल संख्या 06/2011-12 में पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.11.2011 को बनाप 946.22 वर्गगज ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी किया गया जिसका पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालय तृतीय जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 04.01.2012 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 454 पृष्ठ संख्या 107 क्रम संख्या 2012000217 पर किया गया है। इनका यह भी कथन है कि वक्त खरीद दिनांक 25.10.2010 से निरन्तर अप्रार्थी एक व दो का कब्जा चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड पट्टे को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यह निगरानी गलत आधारों पर 14 वर्ष पश्चात पेश की गई है। भूखण्ड खरीदने के बाद अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है जिसमें दिनांक 31.12.2025 को अप्रार्थी 02 के सेवानिवृत्त होने पर समारोह आयोजित किया गया है। भूखण्ड का विक्रय प्रार्थी के पिता द्वारा किया गया है। हरजीराम द्वारा विक्रय करने के पश्चात प्रार्थीगण का भूखण्ड पर कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा है। मूल पट्टो को सरेंडर करने के पश्चात ही नये पट्टे विधिवत् तरीके से जारी किए गए हैं। प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर गलत आधारों पर दर्ज करवाई है। (नोट:- दौराने बहस अप्रार्थी ने उक्त एफआईआर में अंतिम नतीजा की नेगेटिव रिपोर्ट संख्या 01 दिनांक 30.12.2025 एमएम-03 जोधपुर सिटी न्यायालय में प्रस्तुत, की प्रति पुलिस थाना झंवर की पेश की है। )

वक्त खरीद दिनांक 25.10.2010 से ही अप्रार्थी 1 व 2 का निरन्तर कब्जा है। निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित सभी कथन असत्य एवं बेबुनियाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

  
जोधपुर जिला कलेक्टर (प्रकाश)  
जोधपुर

इसी प्रकार धारा 05 के प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर पेश कर कथन किया कि दिनांक 25.10.2010 को भूखण्ड क्रय करने के बाद पूर्व में जारी पट्टे को ग्राम पंचायत में सरेंडर किया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत ने दोनों आक्षेपित पट्टे जारी किए हैं, जिनका पंजीयन भी हो चुका है। निगरानी 14 वर्षों की देरी से प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण का भूखण्ड पर निरन्तर कब्जा है। भवन विकसीत है। देरी का कारण पर्याप्त नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर पेश होने से अस्वीकार की जावे।

अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से पूर्व में जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 3.12.2004 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 06.01.2017 की फोटोप्रति, सादे कागज पर लिखित बेचाननामा दिनांक 25.10.2010 की अप्रमाणित फोटोप्रति दो पेज की पेश की है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की निगरानी पर बहस सुनी गई।
7. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री पुखाराम पटेल ने निगरानी मीमों, धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्रों में अंकित अभिवचनों को दौहराते हुए कथन किया कि निगरानीकार के पिता हरजीराम के पक्ष में सन् 2004-05 में ग्राम पंचायत धवा द्वारा पट्टा संख्या 131 जारी किया था। सन् 2011 में अप्रार्थी 1 एवं 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 13 व 14 भी पूर्व में जारी पट्टा संख्या 131 की भूमि में से ही जारी किया गया है, जबकि मौके पर पूर्व में प्रार्थी के पिता हरजीराम का तथा उनकी मृत्यु के बाद सन् 2019 से प्रार्थीगण का ही कब्जा है। मौके पर ढाणिया इत्यादि बनी हुई हैं। अप्रार्थी-1 एवं 2 का मकान भी पट्टा संख्या 131 के पास में उत्तर दिशा में आया हुआ है। अप्रार्थी 3 ग्राम पंचायत से मिलावट करके प्रार्थीगण को अंधेरे में रखकर विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही उसी ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षरों से पट्टा प्राप्त कर लिया है जो अपास्त योग्य है। प्रार्थी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थगन आदेश जरूरी है। पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर दोबारा पट्टा जारी नहीं हो सकता। गलत पट्टे की जानकारी दिनांक 15.06.2025 को प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एतराज करने पर ही हुई है। भूखण्ड पर कब्जा प्रार्थीगण का ही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः स्थगन आदेश जारी किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपटित धारा 151 सीपीसी का जबाव देते हुए प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी के पिता हरजीराम के नाम से पूर्व में ही पट्टा बना हुआ है। अप्रार्थी ने उक्त तथ्य को



*M*  
 जयपुर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
 जोधपुर

पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। इससे यह तय हो गया है कि हरजीराम के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही दिनांक 03.12.2004 को 1766 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है। अप्रार्थी 1 व 2 का मुख्य कथन एक ही है कि उन्होंने हरजीराम से दिनांक 25.10.2010 को उक्त पट्टा की भूमि 2,25000/- रुपये में क्रय की है तथा हरजीराम ने बेचान की है। हरजीराम द्वारा बेचान करने का कथन पूर्णरूप से असत्य व झूठा है। अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में हरजीराम द्वारा विधिसम्मत निष्पादित बेचाननामा की प्रमाणित प्रति/मूल बेचाननामा इस न्यायालय में अप्रार्थी 1 व 2 ने पेश ही नहीं किया है। मात्र सादे कागज पर फर्जी बेचाननामा लिखकर पेश किया है, जो विधि में अमान्य है तथा झूठा है। हरजीराम ने ऐसा कोई बेचाननामा विधिवत् रूप से अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है तथा न ही कब्जे का हस्तानान्तरण किया है तथा न ही प्रतिफल प्राप्त किया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि फर्जी तरीके से सादे कागज पर बेचाननामा लिखकर, प्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत धवा के आक्षेपित पट्टा संख्या 13 व 14 को जारी करने में जो मिसले संधारित की है उनमें यह कही भी नहीं लिखा है कि हरजीराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 को सरेन्डर किया गया है तथा उसे निरस्त किया जाता है तथा न ही उन मिसलों में तथाकथित फर्जी अमान्य अपंजीकृत बेचाननामा को पेश किया है। फर्जी बेचाननामा की कहानी बाद में तैयार की है। विवादित पट्टों की मिसलों की आदेशिका में दर्ज आदेश व विवरण में ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पुराना कब्जा वर्षों का होना बताया है तथा नियम 157 (1) के तहत 50 वर्षों से भी अधिक अवधि का पुराना कब्जा मानकर विनियमितीकरण के रूप में प्रारूप 23क में पट्टे जारी किए हैं, जबकि अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 व स्थगन प्रार्थना पत्र के जबाव में स्पष्ट स्वीकार किया है कि अप्रार्थी 1 व 2 का कब्जा दिनांक 25.10.2010 से भूखण्ड हरजीराम से खरीदने के बाद से है। ग्राम पंचायत में अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा पट्टे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पंचो की निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट व पंचायत के फैसलों में स्पष्ट लिखा है कि अप्रार्थी 1 व 2 का पुराना कब्जा ..... वर्षों से है। इस प्रकार रिकार्ड पर ही अप्रार्थी 1 व 2 के कथनों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अंकित तथ्यों में भारी अन्तर्विरोध है तथा अप्रार्थीगण द्वारा रचित झूठी कहानी रिकार्ड से झूठी साबित हो जाती है।



*SM*  
अपर जिला कलेक्टर (प्रधान)  
जोधपुर

इस प्रकार झूठे तथ्यों के आधार पर जारी पट्टों को निरस्त करने का इस न्यायालय का पूरा क्षेत्राधिकार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह तय कर दिया है कि अमान्य व शून्य पट्टों का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भी निगरानी में अपास्त किया जा सकता है तथा उन्हें सिविल कोर्ट द्वारा निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण के सारवान तथ्यों को आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर की गई बहस में तथा स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस में पेश किए जा चुके हैं। उन पर विचार किया जावे। इनका मुख्य कथन यह रहा कि दिनांक 03.12.2004 को हरजीराम के नाम से पट्टा संख्या 131 जारी हो चुका है। हरजीराम ने उक्त पट्टे की भूमि कभी भी विधिसम्मत दस्तावेज से बेचान करके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को हस्तान्तरित नहीं की है। हरजीराम का पट्टा ग्राम पंचायत ने विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर निरस्त नहीं किया है तथा न ही हरजीराम ने पट्टा सरेंडर किया है। ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अप्रार्थी स्वयं 25.10.2010 से ही केवल तथाकथित अमान्य फर्जी बेचाननामे के आधार पर कब्जा प्राप्त करना बताते हैं जबकि पंचायत का रिकार्ड अप्रार्थी 1 व 2 को वर्षों से पुराना कब्जा बता रहे हैं जो विरोधाभासी व झूठे होने से अस्वीकार योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा पट्टा संख्या 13 व 14 दिनांक 5.11.2011 को निरस्त किये जावे।



8. निगरानीकार/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्तानुसार प्रस्तुत बहस के कथनों एवं तर्कों का खण्डन करते हुए अप्रार्थी 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी ने जवाब पत्र में अंकित कथनों की पुनरावर्ति करते हुए कथन किया कि यह निगरानी संधारण योग्य नहीं है। रजिस्टर्ड पट्टों को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 03.12.2004 को पट्टा जारी किया गया था, जो रजिस्टर्ड पट्टा नहीं था। उक्त पट्टे की भूमि अप्रार्थी 2 करनाराम ने क्रय की तथा मूल पट्टा ग्राम पंचायत में सरेंडर किया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत ने दो पट्टे अप्रार्थी 1 व 2 के नाम से दिनांक 05.11.2011 को जारी किए गए हैं, जिसका पंजीयन उप पंजीयक तृतीय जोधपुर के कार्यालय में कराया जा चुका है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं हुई है। हरजीराम की सन् 2019 को मृत्यु तक किसी

  
अपर जिला क्लर्क (प्रधान)  
जोधपुर

ने एतराज नहीं किया। कब्जा अप्रार्थीगण का ही है। प्रार्थी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें बाद अनुसंधान नेगेटिव अंतिम रिपोर्ट पेश की है।

प्रार्थीगण को स्थगन आदेश प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्यों कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण के कब्जे में है तथा उनके पक्ष में रजिस्टर्ड पट्टे भी है। अप्रार्थी 2 का सेवानिवृत्ति समारोह भी इसी भूखण्ड पर हुआ है। विद्युत कनेक्शन भी अप्रार्थीगण के नाम से जारी हुए है। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश देने से अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। स्टे के तीनों तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में है। बाबूलाल ने अकेले ही निगरानी पेश की है। हरजीराम के अन्य वारिसान को पार्टी ही नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत धवा द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया अपना कर पूर्व में ही जारी मूल पट्टे को हरजीराम द्वारा सरेंडर करने पर नया पट्टा जारी किया है। तथा हरजीराम के समस्त अधिकार बेचान के बाद समाप्त हो चुके है। रजिस्टर्ड पट्टे को निरस्त करवाने की कार्यवाही सिविल कोर्ट में करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेखों का अध्ययन कर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया। प्रकरण से सम्बन्धित न्यायिक विनिश्चयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

10. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित जबावों एवं ग्राम पंचायत धवा से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार –

(A) यह निर्विवाद तथ्य है कि मिसल संख्या 27/2004-05 के माध्यम से दिनांक 03.12.2004 को एक पट्टा संख्या 131/2004-05 निगरानीकार के पिता हरजीराम पटेल पुत्र बीजाराम निवासी धवा के पक्ष में 1766 वर्गगज का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तत्समय प्रवर्तनशील नियम 157(ख) के अन्तर्गत 200 रूपये की राशि रसीद संख्या 65 दिनांक 03.12.2004 वसूल करके जारी किया गया है। निर्विवाद रूप से जिसके पडौस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार है। यह पट्टा ग्राम पंचायत धवा द्वारा पारित संकल्प संख्या 14(4) दिनांक 05.11.2004 की पालना में जारी किया गया है, जो प्रस्ताव दिनांक 05.09.2004 के अनुसरण में पारित किया गया है।

(B) यह भी निर्विवाद तथ्य है कि ग्राम पंचायत धवा द्वारा मिसल संख्या 05/2011-12 दायर तारीख दिनांक 05.07.2011 में पारित संकल्प संख्या 07 दिनांक 05.11.2011 की पालना में प्रारूप 23क (नियम 157(1)) में पट्टा संख्या 13 अप्रार्थी 1

  
अपर जिला क्लर्क (प्रथम)  
जोधपुर

समदा के नाम जारी किया है। इसी प्रकार मिसल संख्या 06/2011-12 दायर दिनांक 05.07.2011 में बुक संख्या 33 में से पट्टा संख्या 14 ग्राम पंचायत धवा द्वारा अप्रार्थी 2 करनाराम के नाम से ग्राम पंचायत धवा द्वारा पारित संकल्प संख्या 08 दिनांक 05.11.2011 की पालना में 946.22 वर्गगज का प्रारूप 23क नियम 157(1) के तहत विनियमितीकरण का जारी किया गया है। यह भी निर्विवाद है कि उक्त दोनों पट्टा संख्या 13 व 14 की भूमि, पूर्व में जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 की भूमि पर ही दुबारा जारी किए गए हैं।

(C) प्रकरण में विवाद यह है कि प्रार्थी/निगरानीकार अनुसार उसके पिता के पक्ष में पूर्व में दिनांक 03.12.2004 को 1766 वर्गगज का पट्टा 200 रुपये की राशि वसूल करके ग्राम पंचायत ने जारी किया है। इस पट्टे की भूमि का पट्टा प्रार्थीगण या उनके पिता/पति ने कभी भी ग्राम पंचायत के पक्ष में सरेण्डर नहीं किया गया है तथा न ही अप्रार्थी 1 व 2 के पक्ष में अन्तरण विधिवत् बेचान दस्तावेज निष्पादित करके भूमि का कब्जा सौंपा है। फिर भी अप्रार्थी 1, 2 तथा 3 ने आपसी मिलावट करके प्रार्थीगण की मालिकाना हक की सम्पत्ति पर दुबारा पट्टा जारी किया है जो अवैध होने से खारिज योग्य है।

(D) उक्त (C) में अंकित विवरण के विपरीत, अप्रार्थी 1 व 2 का कथन है कि हरजीराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 की भूमि का हरजीराम द्वारा दिनांक 25.10.2010 को 225000/- (दो लाख पचीस हजार रुपये) प्रतिफल प्राप्त करके बेचान की गई है तथा हरजीराम ने भूमि का कब्जा संपूर्ण किया था तथा दिनांक 25.10.2010 से ही वे काबिज हैं। तथा हरजीराम द्वारा मूल पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 को ग्राम पंचायत को सरेण्डर करने पर ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर आक्षेपित पट्टा संख्या 13 व 14 दिनांक 05.11.2004 जारी किए हैं तथा उसी पर वे काबिज हैं। पट्टे रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें केवल सिविल कोर्ट ही निरस्त कर सकता है।

11. उक्त अभिलेखीय स्थिति तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय को निम्न प्रश्नों को तय करना है:-

(i) आया प्रार्थीगण के पिता/पति स्वर्गीय हरजीराम ने पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 की 1766 वर्गगज भूमि का मान्य तरीके से बेचान दस्तावेज का निष्पादन अप्रार्थी संख्या 1 समदा, व अप्रार्थी संख्या 2 करनाराम, के पक्ष में करके, भूखण्ड का अन्तरण करके कब्जा सौंप दिया है?

  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

(ii) क्या हरजीराम द्वारा दिनांक 25.10.2010 को सादे कागज पर बेचान दस्तावेज लिख देने मात्र से आक्षेपित भूखण्ड/सम्पत्ति का टाईटल विधिवत् रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हस्तानान्तरित हो गया है?

(iii) क्या हरजीराम द्वारा मूल पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 को सरेण्डर किया गया था तथा ग्राम पंचायत धवा ने विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर हरजीराम के पक्ष में जारी पट्टा 131 दिनांक 03.12.2004 को निरस्त कर दिया था?

(iv) क्या मिसल संख्या 05/2011-12 दायर दिनांक 05.07.2011 में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.11.2011 तथा मिसल संख्या 06/2011-12 दायर दिनांक 05.07.2011 में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.11.2011 ग्राम पंचायत धवा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना करते हुए जारी किए हुए हैं?

(v) क्या ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी उक्त दोनों पट्टा संख्या 13 व 14 दिनांक 05.11.2011 का दिनांक 04.01.2012 को पंजीयन कराया जा चुका है तथा ऐसे पंजीयन के बाद पंजीबद्ध पट्टे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को विचाराधीन निगरानी याचिका में नहीं है तथा उक्त पट्टे केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही निरस्त किये जा सकते हैं?

12. उक्त पैरा में निर्णित चारों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले न्यायालय की राय में इस निगरानी को पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का निस्तारण करना विधिसम्मत है।

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में यह कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.11.2011 की उन्हे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.06.2025 को उस समय हुई जब प्रार्थी द्वारा भूखण्ड पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण करने, पौधारोपण करने का कार्य शुरू करने पर अप्रार्थी संख्या 2 करनाराम द्वारा एतराज किया तथा करनाराम ने आक्षेपित पट्टे दिनांक 05.11.2011 दिखाये। उसके बाद ग्राम पंचायत से पट्टे की नकले मांगी गई परन्तु नकले नहीं दीं। उक्त के विपरीत अप्रार्थी 1 व 2 का कथन है कि निगरानी 14 वर्ष पश्चात पेश की है जिसमें अंकित कारण पर्याप्त नहीं होने से धारा 5 प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं जवाब में अंकित कथनों का अवलोकन किया तथा ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल संख्या 05/2011-12 एवं 06/2011-12 में उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि पत्रावली



*SM*  
जयपुर जिला कलेक्टर (अध्याय)  
जोधपुर

पर ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि प्रार्थी को दिनांक 15.06.2025 से पूर्व आक्षेपित पट्टों की जानकारी थी। अप्रार्थीगण 1 व 2 साक्ष्य/सबूत से दिनांक 15.06.2025 से पूर्व आक्षेपित पट्टों की जानकारी प्रार्थीगण को होने के तथ्य को साबित करने में असफल रहे हैं।

राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 97 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा जारी आदेश, निर्णय, संकल्प, प्रस्ताव इत्यादि की वैधानिकता, सत्यता, औचित्यता का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा कभी भी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। चिमनलाल बनाम राजस्थान राज्य (2000) 2 डब्ल्यूएलसी(राज.) 1 (एफ.बी. राज. उच्च न्यायालय) में यह अभिनिर्धारित किया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों अनुसार यह अवधि युक्तियुक्त होनी चाहिए। अतः इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय की राय में प्रकरण का मेरिट पर परीक्षण करना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी पेश करने में हुई सद्भाविक देरी को कन्डोन करने के कारण पर्याप्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी युक्तियुक्त समयावधि के भीतर प्रस्तुत होना सुमार की जाती है तथा प्रकरण का मेरिट पर परीक्षण करना न्यायोचित है।



13. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि आक्षेपित पट्टों का दिनांक 04.01.2012 को उप पंजीयक तृतीय जोधपुर के कार्यालय में पंजीयन किया जा चुका है तथा पंजीबद्ध पट्टों को सिर्फ सिविल कोर्ट द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। अतः इस न्यायालय को इस निगरानी को सुनने का अधिकार नहीं होने के कारण निगरानी को मेरिट पर परीक्षण करने से पूर्व ही अस्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी एक व दो द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित आधारों पर यह न्यायालय सहमत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह तय किया जा चुका है कि पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा जारी किया गया पट्टा विधि प्रावधानों के विपरीत है, परन्तु वह पट्टा रजिस्टर्ड कराया जा चुका है तो भी निगरानी में वह पट्टा अपास्त किया जा सकता है तथा ऐसे अवैध पट्टों को निरस्त करवाने के लिए अलग से सिविल कोर्ट में वाद दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक निर्णय उल्लेखनीय है।

  
अपर जिला क्लर्क (प्रथम)  
जोधपुर

1. Jhumar Ram vs Addl. Collector Second Jodhpur DB Special Appeal Writ No 056/2017 decided on 15-12-2017 में माननीय उच्च न्यायालय में पूर्व निर्णित प्रकरण

2. कमला देवी बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य:- DB Special Appeal Writ No 136/2017 decided on 27-03-2017 पर मंथन करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गये पट्टों को राजस्थान पंचायतीराज एक्ट 1994 की धारा 97 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए रजिस्टर्ड पट्टों को भी निरस्त किया जा सकता है।

3. ऐसा ही मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 57/2020 निर्णय दिनांक 14.01.2020 (खुशाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) में प्रतिपादित किया है।

इस सम्बन्ध में निम्न न्यायिक विनिश्चयों में भी यही मत व्यक्त किया गया है:-

4. घेवरचन्द बनाम राजस्थान राज्य आरजेटी (2017)3 1995

5. नगरमल बनाम एडीएम सीकर- 2013(1) डब्ल्यूएलसी राज. 768

6. नगर परिषद पाली बनाम दीनदयाल - डीबीएसएडब्ल्यू-485/2013 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।

7. मिश्रीमल बनाम स्टेट- एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 5206/2019 निर्णय दिनांक 21.09.2016 -2010 राज. उच्च न्यायालय जोधपुर।

उक्त न्यायिक विनिश्चयों की रोशनी में अप्रार्थी एक व दो द्वारा आदेश 07 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

14. अब यह न्यायालय उक्त पैरा 11 में विरचित प्रश्नों का उत्तर देना विधि सम्मत समझता है जिसका निर्धारण निम्नानुसार किया जा रहा है

प्रश्न 11 (i) आया प्रार्थीगण के पिता/पति स्वर्गीय हरजीराम ने पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 की 1766 वर्गगज भूमि का विधि मान्य तरीके से बेचान दस्तावेज का निष्पादन अप्रार्थी संख्या 1 समदा, व अप्रार्थी संख्या 2 करनाराम, के पक्ष में करके, भूखण्ड का अन्तरण करके कब्जा विधिवत् रूप से सौंप दिया है?

उत्तर:- रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(1)बी के प्रावधानानुसार किसी भी प्रकार की स्थावर सम्पति (tangible property) जिसका मूल्य एक सौ रुपये से अधिक



*SM*  
अवर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

हो, के स्वामित्व, टाईटल का हस्तान्तरण केवल मात्र रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से ही हो सकता है तथा ऐसे दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य (compulsory) है।

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के प्रावधान इस प्रकार है:—“54”—

“Sale” Defined- “Sale” is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised.

Sale how made- Such transfer in the case of tangible immovable property of value of one hundred rupees and upwards, or in the case of a reversion or other intangible thing, can be made only by a registered document.

इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधानानुसार केवल रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के द्वारा ही एक सौ रुपये से अधिक कीमत की भूमि के समस्त अधिकारों का हस्तान्तरण हो सकता है तथा ऐसे बेचान दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Suraj Lamp and Industried Pvt. Ltd. V/s State of Haryana SLP(C) No- 13917/2009 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2011 के पैरा संख्या 16 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:—

16- We therefore, reiterate that immovable property can be legally and lawfully transferred/conveyed only by a registered deed of conveyance. Transactions of the nature of General power of Attorney (GPA) Sales or Agreement to sale/GPA/WILL transfers do not convey title and do not amount to transfer, nor can they be recognised or valid mode of transfer of immovable property. The courts will not treat such transactions as completed or concluded transfers or as conveyances as they neither convey title nor create only interest in an immovable property. Such transactions cannot be relied upon or made the basis for mutations in municipal or revenue records. It is time that an end is put to the pernicious practice of SA/GPA/WILL transactions known as GPA sales.

  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

उक्त न्यायिक विनिश्चय के पश्चात समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने यह विनिश्चित कर दिया है कि एक सौ रूपये से अधिक कीमत की स्थायी/स्थावर सम्पति में, के अधिकारों/हितो/स्वामित्व का हस्तान्तरण केवल रजिस्टर्ड बेचाननामा के माध्यम से ही हो सकता है अन्यथा हस्तान्तरण अवैध, शून्य एवं अमान्य है। उक्त न्यायिक निर्णयो में केवल मात्र पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 व सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों की व्याख्या मात्र की है तथा उक्त प्रावधान उक्त दोनों कानूनों में पूर्व से विद्यमान है।

उक्त विधिक प्रावधानों का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा फार्म न. 3 में दिनांक 16.01.2026 को प्रस्तुत सादे कागज पर दिनांक 25.10.2010 को लिखे गए बेचाननामा की फोटोकापी का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्रथम तो यह एक सादा कागज पर लिखे गए बेचाननामा की फोटोप्रति मात्र है जो भारतीय साक्ष्य संहिता/साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत साक्ष्य में ग्रहण योग्य ही नहीं है। यह मात्र एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कानून में कोई मान्यता ही नहीं है। यह लिखावट विधिवत् रूप से जारी स्टाम्प पेपर पर भी नहीं है। इसमें प्रतिफल की राशि 225000/- दो लाख पचीस हजार रूपये बताई गई है। अगर ऐसा संव्यवहार हुआ भी है तो भी वह अमान्य है क्यों कि ऐसे संव्यवहार का पंजीयन एक्ट की धारा (17)(1)(b) व सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है जिसका इस दस्तावेज में पूर्णतः अभाव है। अतः दिनांक 15.10.2010 के तथाकथित अमान्य दस्तावेज से हरजीराम के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विवादित भूमि का हस्तान्तरण विधि अनुसार होना नहीं माना जा सकता तथा ऐसा दस्तावेज प्रारंभतः ही शून्य एवं अवैध है तथा इसके माध्यम से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किसी भी प्रकार से सम्पति में, के अधिकारों का हस्तान्तरण ही नहीं हुआ है। इस दस्तावेज में स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन फीस की भारी हानि हुई है। प्रार्थी अस्वीकार करते हैं।

**प्रश्न 11 (ii)** क्या हरजीराम द्वारा मूल पट्टा संख्या 131 दिनांक 3.12.2004 को सरेण्डर किया गया था तथा ग्राम पंचायत धवा ने विधि प्रक्रिया अपनाकर हरजीराम के पक्ष में जारी उक्त विवरण के पट्टे को निरस्त कर दिया था।

उत्तर:- ग्राम पंचायत धवा से प्राप्त मिसल संख्या 27/2004-05 में उपलब्ध अभिलेखानुसार हरजीराम ने पूर्वजो द्वारा निर्मित मकान की भूमि 100 एक सौ वर्षों से अधिक पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि का आवेदन ग्राम पंचायत को पेश किया तथा सरपंच धवा ने दिनांक 05.09.2004 को पेश करने के आदेश दिया। दिनांक 05.09.2004 की



*SM*  
जोधपुर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

आदेशिका अनुसार 1996 के नियम 146(1) के अनुसार दर्ज किया तथा पंचायत ने पंच कमेटी की मौका रिपोर्ट मंगवाई। दिनांक 06.09.2004 को कमेटी ने मौका रिपोर्ट तैयार की तथा मौके का नक्शा तैयार किया तथा 1766 वर्गगज भूमि पर 100 वर्ष से अधिक अवधि का पुराना कब्जा पाया तथा पट्टा जारी करने की सिफारिश की। चुतरदास-नक्शानवीस द्वारा नक्शा तैयार किया है। रिपोर्ट दिनांक 20.09.2004 को ग्राम पंचायत की बैठक में पेश हुई तथा कमेटी रिपोर्ट अनुसार 50 वर्षों से अधिक का पुराना कब्जा माना जाकर पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया तथा एक माह की अवधि में सर्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की। प्रारूप- 22 (नियम- 148) के तहत दिनांक 21.09.2004 को नोटिस जारी किया गया है, जो नोटिस की पुश्त पर अंकित रिपोर्ट अनुसार दिनांक 21.09.2004 को तुरक के बास के चौक में चस्पा किया गया है।

दिनांक 05.11.2004 की पंचायत बैठक के प्रस्ताव संख्या 14(4) के अनुसार किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने का तथ्य अंकित कर 1996 के नियम 157(ख) अनुसार 1766 वर्गगज का पट्टा 200 रूपये की राशि वसूल करने, जारी करने का निर्णय पारित हुआ है तथा पत्रावली को दाखिल दफतर की गई है। दिनांक 05.11.2004 की आदेशिका के बाद मिसल में किसी प्रकार की आदेशिका दर्ज नहीं है। अगर हरजीराम द्वारा उसको जारी पट्टा संख्या 131 को ग्राम पंचायत को पुनः सरेण्डर किया जाता तो मिसल में ग्राम पंचायत द्वारा सरेण्डर का आदेश अवश्य अंकित होता। ग्राम पंचायत धवा से प्राप्त वर्ष 2004-05 की पट्टा बुक में मिसल संख्या 27/2004-05 में पट्टा संख्या 131/2004-05 दिनांक 03.12.2004 को हरजीराम पुत्र बीजाराम कलबी(पटेल-तुरक) निवासी धवा के नाम से 1766 वर्गगज का जारी किया गया है। पट्टे की कार्बन कापी उपलब्ध है जिस पर छगन सरपंच, ग्राम पंचायत धवा, ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत धवा, साक्षी भीकाराम, रामलाल घांची, छोगाराम एवं एक अन्य (अपठनीय) के हस्ताक्षर हैं तथा पट्टाधारी हरजीराम का अंगुठा निशान है। इस कार्बन प्रति के साथ पट्टे की अन्य दो प्रतियां संलग्न नहीं हैं तथा इस कार्बन काँपी पर ग्राम पंचायत धवा द्वारा इस पट्टे को हरजीराम द्वारा सरेण्डर करने का, बेचान करने का या पट्टे निरस्त करने का कोई नोट अंकित करके सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा न ही उक्त प्रकार की कार्यवाही करने बाबत प्रस्ताव पारित करने का नोट अंकित है अर्थात् हरजीराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 131/2004-05 दिनांक 03.12.2004 को ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर निरस्त नहीं किया है तथा पट्टा यथावत है। इस बारे में ग्राम पंचायत की ओर से इस



  
 उपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
 जोधपुर

निगरानी में जबाब तक पेश नहीं किया हैं। जबकि पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 एवं पट्टा संख्या 13 व 14 दिनांक 05.11.2011 को जारी करने वाला ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी वही व्यक्ति है।

**प्रश्न 11 (iii):-** क्या मिसल संख्या 5/2011-12 दायर दिनांक 05.07.2011 में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.11.2011 तथा मिसल संख्या 6/2011-12 में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.11.2011 ग्राम पंचायत धवा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया तथा प्रावधानों की पालना करते हुए जारी किए गए है?

**उत्तर:-** मिसल संख्या- 5/2011-12 में दिनांक 05.07.2011 को अप्रार्थी समदा द्वारा पट्टा हासिल करने हेतु आवेदक पत्र की प्रति उपलब्ध है परन्तु उस पर आवेदनकर्ता समदा के हस्ताक्षर/अंगुठा ही नहीं है। दिनांक 20.07.2011 को ग्राम पंचायत की बैठक में मिसल दर्ज करने तथा पंचों की रिपोर्ट मंगवाने का अंकन है। समदा के आवेदन पत्र में पुश्तैनी पुराना कब्जा बताया है। दिनांक 20.07.2011 की आदेशिका में भी 50 वर्षों से अधिक पुराना मकान निर्मित होना बताया है, निरीक्षण रिपोर्ट के कॉलम संख्या 4 में विक्रय पत्र शून्य अंकित किया है। आदेशिका दिनांक 05.08.2011 में भूमि पर 50 वर्षों का पुश्तैनी कब्जा तथा 30 वर्ष के दौरान निर्माण कार्य करना बताया है। दिनांक 20.08.2011 की आदेशिका में भी 50 वर्ष पुराना पुश्तैनी कब्जा बताया है तथा दिनांक 20.10.2011 को भी पुश्तैनी कब्जा 50 वर्ष का बताया है। पट्टा नियम 157 के अन्तर्गत जारी करने का निर्णय पारित किया है। पत्रावली में संलग्न नक्शा अप्रार्थी- 3 द्वारा तैयार किया है। प्रारूप-22 नियम 148 के तहत जारी नोटिस किस तारीख को, किस स्थान पर चस्पा किया है। इसका स्पष्ट अंकन नोटिस पर नहीं है जो कि आज्ञात्मक प्रावधान है।

गवाहों ने भी 50 वर्ष का पुराना कब्जा बताया है परन्तु उसमें गवाहों के नाम, पिता का नाम अंकित ही नहीं है। उक्त पूरी पत्रावली में समदा के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है तथा पत्रावली में यह कहीं पर भी यह अंकन नहीं है कि पूर्व पट्टाधारी हरजीराम ने पट्टे का सरेण्डर किया है तथा पट्टे की भूमि का बेचाननामा समदा के पक्ष में निष्पादित किया है। उक्त बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। मिसल में 50 वर्षों का पुराना कब्जा होने के कोई सबूत नहीं है। मिसल में उपलब्ध नोटशीट की फोटोकापी ही उपलब्ध है परन्तु सरपंच के हस्ताक्षर फोटोकापी पर ही है।

  
अपर जिला कलेक्टर (प्रधान)  
जोधपुर

मिसल संख्या 06/2011-12 में भी मिसल संख्या 05/2011-12 अनुसार ही अभिलेख है। किसी भी दस्तावेज पर करनाराम/अप्रार्थी 2 के हस्ताक्षर तक नहीं है तथा न ही 50 वर्षों का पुराना कब्जा होने का कोई सबूत है। मिसल संख्या 5/2011-12 में समदा के नाम- दिनांक 5.11.2011 को 415.69 वर्गगज का पट्टा जारी किया है परन्तु पट्टे पर समदा के हस्ताक्षर/अगुंठा नहीं है तथा न ही गवाहों के हस्ताक्षर है। यह पट्टा प्रारूप- 23क नियम 157(1) में 200 रुपये की राशि लेकर जारी किया गया है। पट्टे पर सरपंच एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है।

मिसल संख्या 06/2011-12 में पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.11.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 करनाराम के नाम से 946.22 वर्गगज का प्रारूप 23क नियम 157(1) के अन्तर्गत 200 रुपये की राशि लेकर सरपंच धापू एवं सचिव श्री राजकुमार के हस्ताक्षर से जारी किया है। इस पट्टे पर करनाराम अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा अन्य गवाहों के भी हस्ताक्षर नहीं है।

ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया। दिनांक 20.07.2011 की कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 8 में मिसल दर्ज करने, तथा नियम 146 के तहत निरीक्षण कमेटी की नियुक्ति की गई है। दिनांक 05.08.2011 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 में पुराना कब्जा मानकर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है। उक्त दोनों प्रस्तावों में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि पूर्व में जारी पट्टा 131 दिनांक 03.12.2004 को हरजीराम द्वारा सरेण्डर किया गया है तथा समदा व करनाराम के पक्ष में बेचाननामा का निष्पादन किया है। बल्कि समदा व करनाराम का पुराना पुश्तैनी 50 वर्षों का निर्मित भवन बताया है जिसका कोई सबूत नहीं है।

दिनांक 20.08.2011 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 04 पारित करके पुराना पुश्तैनी कब्जा होना मानकर मिसल संख्या 01 से 20 तक में पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में भी हरजीराम द्वारा पट्टा संख्या 131/2004-05 को सरेण्डर करने का कोई उल्लेख नहीं है। तथा समदा व करनाराम द्वारा उसे क्रय करने का भी उल्लेख नहीं है। दिनांक 20.10.2011 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 02 पारित कर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां प्राप्त नहीं होने के कारण 50 वर्षों से अधिक अवधि का पुराना कब्जा मानकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है जो गलत है। नोटिस किस तारीख को सम्पत्ति पर चस्पा हुआ। दिनांक 05.11.2011 को प्रस्ताव संख्या 03 पारित कर 50 वर्षों से अधिक अवधि का पुराना पुश्तैनी कब्जा मानते हुए नियमानुसार शुल्क लेकर पट्टा जारी



*SM*  
जोधपुर जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
जोधपुर

करने का संकल्प पारित किया परन्तु उक्त सभी प्रस्तावों में हजारीराम द्वारा पट्टा संख्या 131/2004-05 को सरेण्डर करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उसके क्रय करने का कोई अंकन नहीं है। दिनांक 05.11.2011 को पट्टा जारी किया है परन्तु नियमानुसार राशि वसूल नहीं की है तथा आदेशिका में राशि के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है प्रस्तुत केशबुक में किए गए नये इन्द्राजों अनुसार समदा से रसीद संख्या 44/01.01.2012 से 4420 रुपये तथा करनाराम से रसीद संख्या 43/01.01.2012 से 9560 रुपये दिनांक 28.12.2011 को बताया है। यह इन्द्राज संदेहास्पद है क्यों कि दिनांक 01.01.2012 को वसूल की गई राशि दिनांक 28.12.2011 को केश बुक में कैसे जमा हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा 1996 के नियमों में विहित प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पेश किये बिना ही आक्षेपित भूमि जिसका पट्टा संख्या 131/2004-05 पूर्व में ही दिनांक 03.12.2004 को जारी हो चुका था, जारी किया है तथा हैरानी की बात यह है कि अप्रार्थी 1 व 2 अपने लिखित कथनों में विवादग्रस्त भूखण्ड पर अपना कब्जा खरीदने की तिथि 25.10.2010 से क्लेम कर रहे हैं परन्तु ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 1 व 2 का बिना सबूतों के 50 वर्षों से भी अधिक अवधि का पुश्तैनी कब्जा मानकर नियमितीकरण का पट्टा 1996 के नियम 157(1) के तहत प्रारूप 23क में जारी किया है जो कतई विधि अनुसार उचित नहीं है तथा ऐसे अवैध पट्टों को यथावत रखना कतई विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार की एवं मालिकाना हक की आबादी भूमि का विक्रय करने का अधिकार है। विवादग्रस्त भूखण्ड पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 के माध्यम से पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी थी तथा दिनांक 05.11.2011 को आक्षेपित पट्टा संख्या 13 व 14 के माध्यम से विक्रय हेतु भूमि उपलब्ध ही नहीं थी तथा प्राइवेट व्यक्ति की भूमि विक्रय करने का ग्राम पंचायत का कोई अधिकार नहीं है। अतः आक्षेपित पट्टा संख्या 13 व 14 दिनांक 05.11.2011 को 1996 के नियमों का उल्लंघन करके जारी किए गए हैं तथा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। पूर्व में जारी पट्टा संख्या 131 की मिसल संख्या 27/2004-05 ग्राम पंचायत में उपलब्ध है तथा दोनो आक्षेपित पट्टों संख्या 13 व 14 दिनांक 05.11.2011 को जारी करने वाला ग्राम विकास अधिकारी भी वही है तथा ग्राम पंचायत का सम्पत्ति रजिस्टर दोहरे पट्टे जारी होने से रोकने के लिये ढाल की तरह काम करता है परन्तु ग्राम पंचायत ने प्रावधानों का दुरुपयोग किया है।



*SM*  
 अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
 जोधपुर

**प्रश्न 11 (iv)** क्या ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 13/2011-12 एवं 14/2011-12 दिनांक 05.11.2011 का दिनांक 04.01.2012 को पंजीयन कराया जा चुका है तथा ऐसे पंजीयन के बाद पंजीबद्ध पट्टे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय में विचाराधीन हस्तगत निगरानी में नहीं है तथा उक्त पट्टे केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किये जा सकते हैं।

उत्तर:- उक्त प्रश्न का उत्तर पूर्व में पैरा संख्या 13 में अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 का निस्तारण करते समय विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों के आधार पर दिया जा चुका है जिसकी पुनरावर्ति करना उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न पूर्व न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि, धारा 97 पंचायतीराज एक्ट 1994 में रिविजन याचिका में परीक्षण के दौरान अगर कोई पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया जाना पाया जाता है तथा वह पट्टा पंजीबद्ध भी हो चुका है तो भी उसे निगरानी के माध्यम से अपास्त किया जा सकता है तथा ऐसे अवैध पट्टों को निरस्त करने हेतु सिविल कोर्ट में अलग से वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है। झूमरराम बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर (डीबीएसएडब्ल्यू- 656/2017 निर्णय दिनांक 15.12.2017) राजस्थान उच्च न्यायालय कमला देवी बनाम स्टेट आफ (डीबीएसएडब्ल्यू- 136/2017 निर्णय दिनांक 27.03.2017) व अन्य कई निर्णय उल्लेखनीय हैं। हालांकि अप्रार्थी 1 व 2 रजिस्टर्ड पट्टा/उनकी प्रतियां इस न्यायालय में अवलोकनार्थ इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं।



**15.** उपरोक्त विस्तृत तथ्यात्मक अभिलेखीय एवं न्यायिक विवेचना अनुसार संक्षिप्त में निम्न निष्कर्ष निकले हैं:-

**(A)** ग्राम पंचायत धवा द्वारा मिसल संख्या 27/2004-05 में पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 श्री हरजीराम के पक्ष में 1766 वर्गगज का विधि प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है जो आज दिन तक यथावत है। उक्त पट्टे की भूमि प्राइवेट भूमि है।

**(B)** उक्त (A) में वर्णित विवरण का तथा हरजीराम ने ग्राम पंचायत धवा को सरेण्डर नहीं किया है तथा ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा संख्या 131/2004-05 को निरस्त नहीं किया है। अतः उक्त पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत नये पट्टे जारी नहीं कर सकती है।

**(C)** उक्त हरजीराम ने अपने पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 का भूखण्ड विधि प्रक्रिया अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 समदा व 2 करनाराम, को जरिये बेचाननामा

  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

हस्तानान्तरित नहीं किया है तथा स्थायी सम्पति का हस्तानान्तरण धारा 17(1)बी पंजीयन एक्ट 1908 व धारा 54 सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानानुसार केवल रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के माध्यम से ही हो सकता है। ऐसा ही सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Suraj Lamp and Industried Pvt. Ltd. V/s State of Haryana निर्णय दिनांक 11.10.2011 (supra) में अभिनिर्धारित किया है। अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा सादे कागज पर लिखकर प्रस्तुत किया गया बेचाननामा शून्य है।

(D) ग्राम पंचायत धवा ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी विवादित पट्टा संख्या 13 व 14 दिनांक 05.11.2011 हरजीराम के पक्ष में पूर्व में जारी पट्टा 131 दिनांक 03.12.2004 को निरस्त करके जारी नहीं किया है बल्कि अप्रार्थी एक व दो का विवादित भूखण्ड पर पुराना 50 वर्षों से भी अधिक अवधि का पुश्तैनी कब्जा बिना किसी सबूत को मानकर जारी किये है जिसके समर्थन में पत्रावली पर कोई साक्ष्य/सबूत नहीं है तथा ग्राम पंचायत के रिकार्ड एवं अप्रार्थी एक व दो द्वारा इस निगरानी में प्रस्तुत लिखित कथनों में विरोधाभासी कथन/तथ्य है तथा अप्रार्थी 01 व 02 के ग्राम पंचायत के अभिलेखों में किसी भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं है जो एक गंभीर अवैधानिकता है तथा ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि कानूनी कार्यवाही के शिकंजे से बच सके परन्तु ग्राम सेवक पदेन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी अपने पदीय दायित्वों से किसी भी प्रकार से बच नहीं सकता। राजसेवक से कानूनी प्रावधानों अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।



(E) आक्षेपित पट्टा संख्या 13 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 05.11.2011 तथा पट्टा संख्या 14 प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 05.11.2011 की पालना में जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 05.11.2011 को केवल 03 प्रस्ताव ही जारी करने का अंकन है तथा ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी मनमर्जी से ही प्रस्ताव संख्या का पट्टे पर अंकन किया है।

(F) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने एतराज किया है कि यह निगरानी केवल बाबूराम ने ही पेश की है तथा हरजीराम के अन्य उत्तराधिकारियों ने पट्टे को आक्षेपित नहीं किया है। इस सम्बन्ध में निगरानी के पैरा संख्या 03 में अन्य वारिसान द्वारा प्रार्थी बाबूराम के पक्ष में आम मुख्यतयारनामा दिनांक 07.07.2025 का निष्पादन करने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तथा नोटरी द्वारा तस्दीक जनरल पावर ऑफ एटार्नी दिनांक 07.07.2025 की फोटोप्रति पत्रावली पर मौजूद है। अतः अप्रार्थीगण का एतराज खारिज किया जाता है। वैसे निगरानी एक वारिस भी पेश कर सकता है।

  
अपर जिला कलेक्टर (प्रभुपुर)  
जोधपुर

(G) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 24.03.2026 को पुलिस थाना झंवर की ओर से प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा दिनांक 11.08.2025 को दर्ज कराई गई एफआईआर संख्या 114 में बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन संख्या 01 दिनांक 30.12.2025 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें प्रकरण में नतीजा एफ.आर. (अदम वकू झूठ) की पेश की है। इस न्यायालय ने उक्त नेगेटिव एफआर में अंकित विवरण का अवलोकन किया। यह न्यायालय उक्त अनुसंधान से कतई सहमत नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सिविल प्रकृति का है तथा अनुसंधान आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपों से सम्बन्धित है जिसमें सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है तथा शिकायतकर्ता प्रोटेस्ट पिटीशन भी पेश कर सकता है। एफआर में हरजीराम द्वारा पट्टा पंचायत समिति धवा में समर्पित करने का लिखा है जबकि इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सरेण्डर पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 या ग्राम पंचायत द्वारा पेश नहीं किया है तथा न ही ग्राम पंचायत धवा ने जवाब पेश कर सरेण्डरनामा पेश करने एवं पट्टा संख्या 131 को निरस्त करने का आदेश पेश किया है। न ही पट्टा संख्या 13 व 14 को जारी करने हेतु संधारित मिसलों एवं ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में ऐसे तथ्यों का कोई उल्लेख है। इसके अतिरिक्त दिनांक 25.10.025 को हराराम द्वारा बेचान लिखित को पुलिस ने मान्य माना है। उसका क्या आधार है। लिखित बेचान सादे कागज पर हराराम द्वारा लिखना बताया है जबकि पट्टा हरजीराम के नाम से जारी है। अरजिस्टर्ड बिना पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी दिये की गई लिखित को वैध कैसे मान सकते हैं?



अतः यह न्यायालय पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान से कतई सहमत नहीं है तथा उक्त एफआर (अदम वकू झूठ) के आधार पर अप्रार्थी 01 व 02 के पक्ष में बिना आवेदन के ही जारी पट्टो को वैध नहीं मान सकता। आपराधिक विधि एवं सिविल विधि में विचारण के तत्व अलग-अलग है।

16. उपर्युक्त निष्कर्षानुसार प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार योग्य है तथा आक्षेपित/विवादग्रस्त पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

17. परिणामस्वरूप निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी संख्या 259/2025 अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 स्वीकार की जाती है।

18. ग्राम पंचायत धवा, पं.स. लूणी (हाल पं.स. धवा) द्वारा मिसल संख्या 05/2011-12 दायर दिनांक 05.07.211 में जारी पट्टा बुक संख्या 33 में से जारी पट्टा संख्या 13

  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जौहपुर

दिनांक 05.11.2011 बनाप 415.69 वर्गगज बहक समदा पटेल पत्नी करनाराम निवासी धवा को अपास्त किया जाता है तथा उक्त पट्टे को जारी करने हेतु समय-समय पर ग्राम पंचायत धवा द्वारा पारित किये गये समस्त संकल्प उक्त पट्टे की सीमा तक को भी एतद्वारा अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किये जाते हैं।

19. ग्राम पंचायत धवा, पं.स. लूणी (हाल पं.स. धवा) द्वारा मिसल संख्या 06/2011-12 दायर दिनांक 05.07.2011 में पट्टा बुक संख्या 33 से जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 05.11.2011 बनाप 946.22 वर्गगज बहक करनाराम पुत्र बस्ताराम निवासी धवा को अपास्त किया जाता है उक्त पट्टे को जारी करने हेतु समय-समय पर ग्राम पंचायत धवा द्वारा पारित किये गये समस्त संकल्प उक्त पट्टे की सीमा तक को भी एतद्वारा अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किये जाते हैं।

20. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उक्त दोनों पट्टों का पंजीयन किया जा चुका है। अतः उप पंजीयक तृतीय जोधपुर को निर्णय की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 04.01.2012 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 454 पृष्ठ संख्या 114 क्रम संख्या 2012000224 पर पंजीबद्ध दस्तावेज समदा पटेल पत्नी करनाराम के पक्ष में तथा दिनांक 04.01.2012 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 454 पृष्ठ संख्या 107 क्रम संख्या 2012000217 बहक करनाराम पुत्र बस्ताराम के पक्ष में अगर पंजीयन किया गया है तो उक्त दस्तावेज की आपके कार्यालय में उपलब्ध कार्यालय प्रति पर इस निर्णयानुसार पट्टे के निरस्तीकरण का नोट लगाया जावे।

21. मूल निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत धवा को लौटाया जावे। ग्राम पंचायत धवा पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.11.2011 तथा 14 दिनांक 05.11.2011 पर निरस्तीकरण का नोट अंकित करें तथा ग्राम पंचायत के सम्पति रिकार्ड में भी उक्त दोनों पट्टे निरस्त होने का नोट अंकित किया जावे।

22. निरस्त किये गये दोनों पट्टों की मिसल संख्या 05/2011-12 व 06/2011-12 में उपलब्ध समस्त पत्रों तथा बैठक रजिस्टर में अंकित सम्बन्धित तिथियों के कार्यवाही विवरण की फोटोकापियां करवाकर इस पत्रावली में शामिल किया जावे।

23. निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को भेजकर निवेदन है कि इस प्रकरण में दोहरे पट्टे जारी करने में श्री राजकुमार चौहान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धवा ने गंभीर दुराचरण किया है। समदा व करनाराम ने यह पट्टे प्राप्त करने हेतु अपने हस्ताक्षरों से आवेदन ही नहीं किया है फिर भी ग्राम सेवक ने स्वयं ने ही नक्शा वगैरह तैयार कर मिसले दर्ज की है तथा पूर्व में ही हरजीराम के



  
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
जोधपुर

पक्ष में जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 03.12.2004 मिसल संख्या 27/2004-05 को नजरअंदाज करके समदा एवं करनाराम के पक्ष में पट्टे जारी किए हैं तथा पट्टों पर समदा एवं करनाराम के हस्ताक्षर भी नहीं हैं तथा न ही ग्राम विकास अधिकारी ने निगरानीकार का जवाब पेश किया है। अतः श्री राजकुमार के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की जाती है ताकि इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं पर अकुंश लगाया जा सके तथा पुनरावर्ति को रोका जा सके।

24. प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का मूल निगरानी का ही निर्णय हो जाने के कारण निस्तारण किया जाता है।
25. पत्रावली में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का भी निस्तारण किया जाता है।
26. ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 27/2004-05 में जारी पट्टा संख्या 131/2004-05 दिनांक 03.12.2004 बहक हरजीराम को विधिमान्य घोषित किया जाता है।
27. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम हो।



(जवाहर चौधरी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
अपर जिला अधिकारी (प्रथम)  
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
अपर जिला अधिकारी (प्रथम)  
जोधपुर